

वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण

पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टेरिटरी मैनेजर (रिटेल) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० कानपुर मंडलीय कार्यालय ,कालपी रोड पनकी, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर देहात में रूरा-झीझंक कैनाल मार्ग के किमी० 1 (Ch. 445-481) के मध्य बायीं पट्टी पर गाटा संख्या 179, ग्राम-गुटैया, तहसील-अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कानपुर देहात के कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है,प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित किया जायेगा ।

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात


प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी
कानपुर मंडलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-203 020
Kapur Divisional Office Panki, Kanpur-203 020